

## प्रेसनोट दिनांक 18.02.2024

1. दिनांक 17.02.2024 को वादी उ0नि0 श्री रामखेलाड़ी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 इस्माइल पुत्र मो0 बहरैची नि0 महुलारा थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 42/24 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.02.2024 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रउफ पुत्र याकुब नि0 पूरे शेख घोडावल थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 23/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.02.2024 को वादी आरक्षी श्री सौरभ यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि परमानन्द पुत्र श्यामनारायन नि0 मोहम्मदपुर थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 32/24 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.02.2024 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बलराम सोनी पुत्र लवकुश सोनी नि0 मो0 काशीपुर थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 47/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 17.02.2024 को वादी उ0नि0 श्री हैदर अली खान थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमेरिका रावत पुत्र रामसुचित पासी नि0 नेवाजपुर थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 23/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।